निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आषाढ़ 1943 (श0)

(सं0 पटना 543) पटना, सोमवार, 28 जून 2021

परिवहन विभाग

अधिसूचना

23 जून 2021

I0&05@LFkk0&01&57@2018&3464—विभागीय अधिसूचना सं0–2796, दिनांक–22.05.2021 द्वारा श्री अजय कुमार ठाकुर, जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के अवकाश अवधि दिनांक–15.04.2021 से दिनांक–14.06.2021 तक के लिये जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अमलेन्दु कुमार सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के कार्यो के निष्पादन करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। जिला पदाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अजय कुमार ठाकुर, जिला परिवहन पदाधिकारी अपने कार्य पर नहीं लौटे हैं और उपार्जित अवकाश विस्तारित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को आवेदन दिये हैं। जिला परिवहन कार्यालय, जहानाबाद का कार्य प्रभावित न हो इस हेतु श्री ठाकुर को अवकाश से वापस आने तक श्री अमलेन्दु कुमार सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

I0&05@LFkk0&01&57@2018&3465—विभागीय अधिसूचना सं0–2797, दिनांक–22.05.2021 द्वारा श्री अजय कुमार ठाकुर, प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के अवकाश अवधि दिनांक–15.04.2021 से दिनांक–14.06.2021 तक के लिये जिला पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अभिजित कुमार गोविन्दा, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के कार्यो के निष्पादन करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। जिला पदाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अजय कुमार ठाकुर, जिला परिवहन पदाधिकारी अपने कार्य पर नहीं लौटे हैं और उपार्जित अवकाश विस्तारित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को आवेदन दिये हैं। जिला परिवहन कार्यालय, अरवल का कार्य प्रभावित न हो इस हेतु श्री ठाकुर को अवकाश से वापस आने तक श्री अभिजित कुमार गोविन्दा, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–3 का प्रयोग करते हुए उक्त पदाधिकारियों को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियॉ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र नाथ,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 543-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in